



## S Chand And Company Limited

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, New Delhi - 110044, India.

P: +91 11 4973 1800 | F: +91 11 4973 1801 | E: info@schandgroup.com | www.schandgroup.com

Date: September 02, 2023

To Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, Maharashtra 400001	To Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra 400051
---	---

Dear Sir,

**Re: Intimation under Regulation 30 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)**

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Listing Regulations, please find attached the copies of the advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on September 02, 2023 with respect to dispatch of Annual Report for the financial year 2022 -23 along with Notice of 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company.

Request you to kindly take note of the above intimation.

**Thanking You.**

**Yours faithfully  
For S Chand And Company Limited**

  
  
**Jagdeep Singh  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. A15028  
Address: A-27, 2<sup>nd</sup> Floor,  
Mohan Co-operative Industrial Estate,  
New Delhi-110044**

**Encl: as above**



Pipeline Infrastructure Limited

Record Date: 22nd September 2023. Notice to Debentureholders. RECORD DATE FOR PAYMENT OF INTEREST. Notice is hereby given that pursuant to the terms of a Loan Agreement...

MOLD-TEK PACKAGING LIMITED

Regd. Off: 8-2-293/82/700, Ground Floor, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana, India. Ph No: 040-40300329

NOTICE OF THE TWENTY SIXTH (26th) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VCM) AND/ OR REMOTE E-VOTING (REM-EV) MEANS.

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mold-Tek Packaging Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 26th day of September 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

6-EVoting Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting system provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on all resolutions set forth in the Notice of the 26th AGM.

Members whose names are recorded in the register of members / register of beneficial owners as on the cut-off record date i.e. Tuesday, 19th September 2023, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting from 22nd September 2023 to 26th September 2023...

For Hindustan Copper Ltd

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

THE HIGHLAND PRODUCE COMPANY LIMITED

Registered Office: W-21/674, Beach Road, Alappuzha 688012. Notice to Shareholders. NOTICE TO SHAREHOLDERS. NOTICE is hereby given that the NINETY SEVENTH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 11.30 AM on Tuesday, 26th September 2023...

MOLD-TEK TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Off: 8-2-293/82/700, Ground Floor, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana-500033 Ph No: - 91 40 4030 0328

NOTICE OF THE THIRTY NINTH (39th) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VCM) AND/ OR REMOTE E-VOTING (REM-EV) MEANS.

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mold-Tek Technologies Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 26th day of September 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the EIGHTH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 3.00 PM on Tuesday, 26th September 2023 at 11:30 AM on Tuesday, 26th September 2023...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

MORN MEDIA LIMITED

Regd. Office: 202/203, 2nd Floor, The Park Hotel, 100, Park Street, Chennai - 600 005, Tamil Nadu, India. Ph No: 044-26111111

NOTICE OF THE THIRTY NINTH (39th) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VCM) AND/ OR REMOTE E-VOTING (REM-EV) MEANS.

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the members of Morn Media Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 26th day of September 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR BINANI INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 47/1, Chirappi, West Bengal, India. Ph No: 033-25111111

NOTICE OF THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (AGM) of Binani Industries Limited (the Company) will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

THE RAJAGIRI RUBBER AND PRODUCE COMPANY LIMITED

Registered Office: W-21/674, Beach Road, Alappuzha 688012. Notice to Shareholders. NOTICE TO SHAREHOLDERS. NOTICE is hereby given that the EIGHTH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 3.00 PM on Tuesday, 26th September 2023...

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the EIGHTH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 3.00 PM on Tuesday, 26th September 2023 at 11:30 AM on Tuesday, 26th September 2023...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

CORRIGENDUM

In the Sale Notice Under BCI 2019 Paper No. 10000223 in this advertisement in Asset Description: Company as a whole having 10 Mm Bio-Mass based...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

L.J. INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: New No.36/712, Old No.27/1032 Panampilly Nagar, Cochin - 682036, Kerala. Ph No: 0474-2311313

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the EIGHTH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 3.00 PM on Tuesday 26th September 2023 at 11:30 AM on Tuesday, 26th September 2023...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...

FOR HINDUSTAN COPPER LTD

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Limited (HCL) will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VCM) and/ or Remote E-Voting (REM-EV) means...



**यू.पी. को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि.,**  
**बानोता डिस्ट्रिक्ट यूनिट, बानोता सहरापुर**

**ई-निविदा सूचना**

इस आसवनी द्वारा आसवनी बायोकेम्पोस्ट यार्ड में उपलब्ध लूज बायोकेम्पोस्ट जहाँ है जैसी कि के आधार पर विक्री करने हेतु अनुमति/ व्यापार कर में पंजीकृत फर्मों से ई-टेंडर के माध्यम से दिनांक 07-09-2023 तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लूज बायोकेम्पोस्ट हेतु निविदा शुल्क रु० 1180/- एवं ब्रोकर चमराशि रु० 1.00 लाख, आन लाइन जमा कराकर रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। अन्य विस्तृत विवरण दिनांक 01-09-2023 को सांख्यिकी 6.30 बजे से [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर उपलब्ध है। अयोहरताक्षरी को किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को वगैरह कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। मोनो 7880888650, 0000 को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि., बानोता डिस्ट्रिक्ट यूनिट, बानोता सहरापुर।

नाईक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक, पाण्डोखेड़ी, बानोता  
 खाता नं० 3726000120068647, आईएफएससी कोड- PUNB0372600

**प्रधान प्रबंधक**

**आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड**  
 पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड का उप-संयोजक  
 मुंबई-202266 शाखा कार्यालय: यूनिट नं. 710ए/एनए तल, कॉर्पोरेट  
 ब्लॉक, वी-109, संजय चौराहा, आनमगढ़-282002

**परिशिष्ट IV प्रतिक्रियित हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें।**

**कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिप्रतिक्रिया एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिक्रियित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिक्रियित हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पंजाब धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.06.2023 जारी कर ऋणधारकों रुबरन, अभिशेक त्वागी, सोनली लीडिज एंडेवीड कॉलेजियन को उक्त सूचना की प्रामाणिक तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि आर्द्रपत्र 21,25,905/- (रु. इक्कीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ पांच मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आन जनता को सूचित किया जाता है कि आन, 31 अगस्त, 2023 को अयोहरताक्षरी ने उक्त प्रतिक्रियित हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पंजाब अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत न्यूनतम शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आन जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आर्द्रपत्र 21,25,905/- (रु. इक्कीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ पांच मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज में अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिक्रियित परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्री राम धाम कालोनी, नराईच बस्ती, मीना नराईच, तह. एमदातपुर तथा जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-282006 में स्थित भूमि प्लॉट नं. 25, जमीन का खसरा नं. 1595, मांग 70 वर्ग गार्डंस अर्थात् 58.53 वर्ग मी. का सभी मांग तथा हरियाणा, चौहैदी: पूर्व: आन सभा, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: प्लॉट नं. 24 रेणु गोवाम्बी, दक्षिण: प्लॉट नं. 26, अभिमन्यु गुला,

तिथि: 31.08.2023 प्राधिकृत अधिकारी  
 स्थान: आगरा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

**कार्यालय : ग्राम पंचायत भैरोदासपुर, वि.खं. कोयलसा-आजमगढ़**

**एस.एल.इन्व्यू.एम.के. के तहत निविदा सूचना**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत भैरोदासपुर वि.खं. कोयलसा द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज/मनेरा/एस.एल.इन्व्यू.एम./स्वच्छ भारत मिशन योजना-नगर्गत प्राप्त धन राशि से आर.आर.सी. संस्करण निर्माण, बेटी बचाव ई-रिश्ता/मानव चायित सांस्कृतिक विद्या/सांस्कृतिक बेग, ई-सॉफ्टवेयर/भस्मक, इलेक्ट्रिक, सोलर लाइट, इलेक्ट्रालाईक, नाली, खड्गना, पुस्तिका, हेल्थकैम्प, सोसाइटी, गद्दा, डेस्क, बेच, ग्रीन बोर्ड, डिशासूचक बोर्ड, सुन्दरकरण, पोषण, स्वस्थारिण, कार्य, सफाई की, स्त्रीयुक्त पाउडर, स्ट्रीट लाइट, खेकुक सामग्री, कोविड-19 कोरोना किट, फॉर्मिग मशीन, सांस्कृतिक शौचालय, अन्वेषित गृह, अतिरिक्त कब्र शीट/संशोधनी निर्माण, एनएफ प्रवर्तन, पंचायत भवन निर्माण, आनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मर्मत्त, गोशाला निर्माण, भूसा धारा विद्युत का कार्यालय, बाउण्ड्री वाल, पी.डी.सी. पाईप विनिर्माण साईज्ड में, मर्मत्त सम्बन्धित सामग्री, एस.एल.इन्व्यू.एम से सम्बन्धित कार्य पर मांग के अनुसार आदि कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति (ईट प्रथम श्रेणी, इलेक्ट्रालाईक, ईट, बालू/मोरम बालू सफेद/बालू महीन, 20 एम.एम./40 एम.एम. डाला गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट 20 एम.एम., शौचालय सामग्री, एन. पी. 3 ह्रम पाईप कालर सहित हेण्ड पम्प मर्मत्त सामग्री, खेल सामग्री, स्टेशनरी साईज्ड बोर्ड, सूर्यीय, सीमेन्ट, स्टोन बोल्डर, पटिया, रिबोर, टाईल्स, पेन्ट पुट्टी, इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग, एलईडी बल्ब, कूड़ा गाड़ी, सोलर लाइट, पानी की टंकी/एलेक्ट्रिक सौट, कार्यालय सामग्री एवं अन्य आयातक सामग्री (आयकर/कानूनासी) की दरें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता/फर्म दिनांक 02.09.2023 से दिनांक 08.09.2023 समय दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय आपूर्ति हेतु अपनी-अपनी दरें तथा वाणिज्य संलग्न तब लिफाफों में ग्राम पंचायत सामग्री में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 08.09.2023 को दोपहर 2:00 बजे के बाद से ग्राम पंचायत के कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम प्रभार - श्री अक्बेर शाह  
 ग्राम पंचायत - भैरोदासपुर  
 विकासखंड - कोयलसा, आजमगढ़

सचिव - श्री धनराज यादव  
 ग्राम पंचायत - भैरोदासपुर  
 विकासखंड - कोयलसा, आजमगढ़

**कार्यालय : ग्राम पंचायत भैरोली, वि.खं. कोयलसा-आजमगढ़**

**एस.एल.इन्व्यू.एम.के. के तहत निविदा सूचना**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत भैरोली वि.खं. कोयलसा द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज/मनेरा/एस.एल.इन्व्यू.एम./स्वच्छ भारत मिशन योजना-नगर्गत प्राप्त धन राशि से आर.आर.सी. संस्करण निर्माण, बेटी बचाव ई-रिश्ता/मानव चायित सांस्कृतिक विद्या, सांस्कृतिक बेग, इलेक्ट्रिक/भस्मक, इलेक्ट्रिक, सोलर लाइट, इलेक्ट्रालाईक, नाली, खड्गना, पुस्तिका, हेल्थकैम्प, सोसाइटी, गद्दा, डेस्क, बेच, ग्रीन बोर्ड, डिशासूचक बोर्ड, सुन्दरकरण, पोषण, स्वस्थारिण, कार्य, सफाई की, स्त्रीयुक्त पाउडर, स्ट्रीट लाइट, खेकुक सामग्री, कोविड-19 कोरोना किट, फॉर्मिग मशीन, सांस्कृतिक शौचालय, अन्वेषित गृह, अतिरिक्त कब्र शीट/संशोधनी निर्माण, एनएफ प्रवर्तन, पंचायत भवन निर्माण, आनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मर्मत्त, गोशाला निर्माण, भूसा धारा विद्युत का कार्यालय, बाउण्ड्री वाल, पी.डी.सी. पाईप विनिर्माण साईज्ड में, मर्मत्त सम्बन्धित सामग्री, एस.एल.इन्व्यू.एम से सम्बन्धित कार्य पर मांग के अनुसार आदि कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति (ईट प्रथम श्रेणी, इलेक्ट्रालाईक, ईट, बालू/मोरम बालू सफेद/बालू महीन, 20 एम.एम./40 एम.एम. डाला गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट 20 एम.एम., शौचालय सामग्री, एन. पी. 3 ह्रम पाईप कालर सहित, हेण्ड पम्प मर्मत्त सामग्री, खेल सामग्री, स्टेशनरी साईज्ड बोर्ड, सूर्यीय, सीमेन्ट, स्टोन बोल्डर, पटिया, रिबोर, टाईल्स, पेन्ट पुट्टी, इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग, एलईडी बल्ब, कूड़ा गाड़ी, सोलर लाइट, पानी की टंकी/एलेक्ट्रिक सौट, कार्यालय सामग्री एवं अन्य आयातक सामग्री (आयकर/कानूनासी) की दरें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता/फर्म दिनांक 02.09.2023 से दिनांक 08.09.2023 को दोपहर 2:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी-अपनी दरें तथा वाणिज्य संलग्न तब लिफाफों में ग्राम पंचायत सामग्री में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 08.09.2023 को दोपहर 2:00 बजे के बाद से ग्राम पंचायत के कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम प्रभार - श्रीमती महेश्वरी  
 ग्राम पंचायत - भैरोली  
 विकासखंड - कोयलसा, आजमगढ़

सचिव - श्री धनराज यादव  
 ग्राम पंचायत - भैरोली  
 विकासखंड - कोयलसा, आजमगढ़

**केनरा बैंक सेंटेंनरी क्लर डेवलपमेंट ट्रस्ट (रजि.)**  
 क्लर डेवलपमेंट सेक्शन, एनबी ईड एफएल लिमि.  
 केनरा बैंक डेव ऑफिस एनबी ईड लिमिटेड, दुसरा क्रॉस, गांधीनगर,  
 बैंगलोर-560 009, फोन-080-22208851 (डायरेक्ट)  
 ई-मेल: [hords@canarabank.com](mailto:hords@canarabank.com) वेब: [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)

**वस्तुकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना**  
 मधुरा और मेरठ में नए भवन निर्माण कार्य के लिए

केनरा बैंक सेंटेंनरी क्लर डेवलपमेंट ट्रस्ट पात्र आर्किटेक्ट फर्मों से मधुरा एवं मेरठ, उत्तरप्रदेश राज्य में प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए वस्तुकारता और इंजीनियरिंग पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 बोलियों में प्रतियस्पर्धी उद्घरण आमंत्रित करता है, जो प्रस्ताव दस्तावेज में दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। लिक्विड बैंक की वेबसाइट [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com) (निविदा) एवं सीपीजी पोर्टल: [www.eprocure.gov.in](https://www.eprocure.gov.in) पर प्रकाशित किए गए हैं। मुहुरबद्ध प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25.09.2023 अर्थात् 03.00 बजे है। इसके अलावा संचार, शुद्धि और संशोधन, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट में ही होकर किया जाएगा।

दिनांक 31.08.2023 हस्ता./मैनेजिंग ट्रस्टी

**Genus energizing lives**

**GENUS PAPER & BOARDS LIMITED**  
 (CIN: L21098UP2012PLC048390)  
 Regd. Office: VII, Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001 (U.P.)  
 Phone: 0591-2511242, Website: [www.genuspaper.com](http://www.genuspaper.com), Email: [cs@genuspaper.com](mailto:cs@genuspaper.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

Notice be and is hereby given that the 12<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Wednesday, September 27, 2023 at 11:30 AM (IST). In compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2022 dated January 13, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 will be sent only by email to all those members of the Company whose email id are registered with the company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent, viz. Niche Technologies Private Limited. These aforesaid documents will also be available on the Company's website at [www.genuspaper.com](https://www.genuspaper.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (<https://www.bseindia.com>) and National Stock Exchange of India Limited (<https://www.nseindia.com>) and on the website of CDSC at <https://www.evotingindia.com> in due course of time.

**Manner of registering/updating email addresses who have not registered/updated their email addresses with the Company**  
 To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2022-23, the members are requested to register/update their email address/contact number in the following manner:

**In case of physical holding:** Member may send an e-mail request to the Company/RTA at [cs@genuspaper.com](mailto:cs@genuspaper.com) and [nichetech@nichetechpl.com](mailto:nichetech@nichetechpl.com) along with:

- scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete address, email address and mobile number, and
- scanned copy of self-attested PAN card.

Further, shareholder may also visit the website [www.genuspaper.com](http://www.genuspaper.com) or in email id [cs@genuspaper.com](mailto:cs@genuspaper.com) and update their email ID/contact number therein.

**In case of Demat Holding:** Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their email addresses with their relevant Depository Participant.

The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at [www.genuspaper.com](https://www.genuspaper.com) and on the website of CDSC at <https://www.evotingindia.com>. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members through email. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their votes by remote E-voting will be able to vote at the AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during AGM.

In case of any query/clarification pertaining to E-voting, please contact Mr. Kunal Nayyar, Company Secretary, Phone No.: 0591-2511242, Village Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, e-mail: [cs@genuspaper.com](mailto:cs@genuspaper.com)

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

By Order of the Board  
 For Genus Paper & Boards Limited  
 Sd/-  
 Kunal Nayyar  
 Company Secretary

Place: Moradabad  
 Date: September 01, 2023

**युनाइटेड इंडिया इन्व्स्टीमेंट्स कंपनी लि.**  
 (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व)  
 क्षेत्रीय कार्यालय, आरिफ चैम्बर 1, द्वितीय एवं तृतीय तल, कश्मीरला, अटॉर्नीज लखनऊ-226024, फोन: 0522-4241154  
 IRDAI पंजीकरण सं-525 CIN: U93080TN1938E0000108

**सार्वजनिक सूचना: कार्यालयों का विलय/स्थान परिवर्तन**

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी कंपनी की व्यापार समेकन योजनाओं के तहत प्रवेश प्रवेश राज्य में स्थित निम्नलिखित कार्यालयों के मुख्यालय ग्राहकों को दिनांक 01.12.2023 से हमारे अन्य कार्यालयों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जायेंगी। हमारे ग्राहक नीचे दिए गए निम्नलिखित अथवा नए स्थानों से एवं ऑनलाइन भी, निर्वासन सेवाओं का लाभ लेना जारी रख सकते हैं।

<b>वर्तमान कार्यालय (नाम व पता)</b> महेश्वर कार्यालय कडोना पटवर्नी - 3 प्रथम तल, स्टेशन रोड, निरवा बैंक ऑफ इंडिया, कडोना पटवर्नी, हरदोई, उ.प्र.-241126	<b>भविष्य में सेवा प्रदाता कार्यालय (नाम, पता व फोन नं.)</b> महेश्वर कार्यालय 2 लखनऊ- द्वितीय तल, मोल कामपलेख, निशागरंज, लखनऊ, उ.प्र.-226006, फोन नं.- 7397581640
<b>महेश्वर कार्यालय प्रतापनगर - 47 ए, सिविल लाइन्स, कटरा रोड, प्रतापनगर, उ.प्र.-230001</b>	<b>महेश्वर कार्यालय इलाहाबाद- होल नो बी-1 एवं 2, प्रथम तल, माधोकान, राममोहन प्लाजा, कटरा, इलाहाबाद, उ.प्र.-211002, फोन नं.-9450818972</b>
<b>महेश्वर कार्यालय नवाबगंज - मोहल्ला मुबारक नगर, बाईस रोड, नवाबगंज, निरवा बैंक डेवलपमेंट बैंक, बरेली, उ.प्र.-243408</b>	<b>महेश्वर कार्यालय बरेली- 165 आरएफओ टावर, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली, उ.प्र.-243001, फोन नं.-7305089209</b>
<b>महेश्वर कार्यालय बंशील - निरवा बैंक एकेजी गुप्ता मार्केट, सेवक बरेली, उ.प्र.-243407</b>	<b>महेश्वर कार्यालय बरेली- 165 आरएफओ टावर, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली, उ.प्र.-243001, फोन नं.-7305089209</b>
<b>महेश्वर कार्यालय इटावा - 167 /13 3 प्रेम नगर, पी.ओ. इटावा, इटावा, उ.प्र.-208001</b>	<b>महेश्वर कार्यालय 1 कानपुर- 15/46 सिविल लाइन्स कानपुर, उ.प्र.-208001, फोन नं.-9956136447</b>
<b>महेश्वर कार्यालय मकरंदनगर - जी.टी. रोड, कम्पौल, मकरंदनगर, उ.प्र.-209728</b>	<b>महेश्वर कार्यालय 1 कानपुर- 15/46 सिविल लाइन्स कानपुर, उ.प्र.-208001, फोन नं.-9956136447</b>
<b>महेश्वर कार्यालय बाबपुर - विमानार, निरवा बैंक ग्राहक भवन, विपरीत डाकघर अजीतमल, मेन रोड, विमानार, बाबपुर, अरिया, उ.प्र.-206211</b>	<b>महेश्वर कार्यालय 1 कानपुर- 15/46 सिविल लाइन्स कानपुर, उ.प्र.-208001, फोन नं.-9956136447</b>
<b>महेश्वर कार्यालय अहोरी - इला देवी, नरेंद्र बाजार, निरवा बैंक.ओ.बी. हाउस, निशागरंज, उ.प्र.-231307</b>	<b>महेश्वर कार्यालय 1 बनारस- अनुपम बिल्डिंग, सी-21/49, द्वितीय तल, नरहाड़, बनारस, उ.प्र.-221002, फोन नं.-9725702482</b>
<b>महेश्वर कार्यालय टेटरी बाजार - उत्सव रोड, सेवक नगर, टेटरी बाजार, सिद्धावनगर, उ.प्र.-272607</b>	<b>महेश्वर कार्यालय गोरखपुर - तिनेना रोड, गोरखपुर, गोरखपुर, उ.प्र.-273001, फोन नं.-9952828540</b>

**शाखा कार्यालय 4 कानपुर - 111 /432, प्रथम तल, 80 फीट रोड, अरवीक नगर, कानपुर 208112**

**महेश्वर कार्यालय 3 कानपुर - 118/90 गुमटी प्लाज, द्वितीय तल, कोयलपुरी कानपुर, उ.प्र.-208012, फोन नं.-9335141546**

**महेश्वर कार्यालय अकरबपुर - प्रथम तल, गुलसी रोड, लौरी स्टार, अकरबपुर, रामगार्ड नगर, उ.प्र.**

**महेश्वर कार्यालय 3 कानपुर - 118/90 गुमटी प्लाज, द्वितीय तल, कोयलपुरी कानपुर, उ.प्र.-208012, फोन नं.-9335141546**

**महेश्वर कार्यालय मोथ - मेन रोड, एच बाजार ऑफिस, निरवा बाना मोथ, झांसी, उ.प्र. 284304**

**महेश्वर कार्यालय 4 लखनऊ - 4 ई-एलसी रोड, कोरली हाउस, नरही, लखनऊ, उ.प्र. 226001**

**महेश्वर कार्यालय 2 लखनऊ- द्वितीय तल, मोल कामपलेख, निशागरंज, लखनऊ, उ.प्र.-226006, फोन नं.- 7397591640, 9451510394**

दिनांक : 30.08.2023 **एम महाप्रबन्धक**

**शुभ वस्तु की न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)**  
 प्रथम तल, एएसीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़  
 (तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

समन  
 दिनांक: 30/08/2023  
 आदेश: 1861/2019

शुभ वस्तु की न्यायाधिकरण (विधि) विभाग, 1993 के विभाग 5 के उप विभाग (2ए) के साथ पंजीकृत अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन

श्री. अरवि अशोक  
 बचपन  
 सैरस अन्वेषक/विधि तलाक अन्व

श्री. अरवि अशोक, कालकत्ती नई दिल्ली  
 (3) श्री केसर चोपड़ा सिंग (प्रति 3) पुत्र अमर सिंह निवासी मकान नंबर 1685, सेक्टर 33, चंडीगढ़

सूचित दिनांक 21.08.2023 को ओए/1861/2019 मनीषा चौधरी अधिकांती/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया था।

सूचित: यह समन न्यायाधिकरण द्वारा 408460959.11 रूप से जारी की वस्तु के लिए आरंभ किए गए अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (उपरोक्त की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है।)

अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अनुसार, अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत आवेदन द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्तनियों के अलावा परिवर्तनियों तथा परिवर्तनियों का विवरण प्रस्तुत किया है।

(3) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है- (1) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कालकत्ती द्वारा निर्देशित किए रहत को प्रार्थना की गई है कि वह नई प्रदान नहीं की जाती चाहिए।

(2) सूचित अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट संशोधित तथा परिवर्त